महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0 / प0नि0का0 / एफ–3 / 2022 / 14349-56 दिनांकः 11.06.2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।

**विषय– विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों में शान्तिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

राज्य सरकार जीरो टालरेन्स नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंतरण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1043 / सत्तर–1–2022–16(9) / 2018 लखनऊ दिनांक 08.04.2022 एवं शासनादेश संख्या उ0शि0मं0 01 / सत्तर–1–2022–16(09) / 2018, लखनऊ दिनांक 27.05.2022 एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है–

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा हेतु डिजिटल वाई–फाई लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. परीक्षा के दौरान के केन्द्र प्रभारी के अतिरिक्त अन्य सभी का मोबाइल प्रयोग प्रतिवन्धित किया जाये।
3. परीक्षा केन्द्र पर समस्त परीक्षार्थी / शिक्षक / कर्मचारियों हेतु सैनीटाइजर की व्यवस्था की जाये।
4. परीक्षा हेतु आये परीक्षार्थियों को मास्क, सेनेटाईजर एवं पीने का पानी अपने साथ लाना चाहिए।
5. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को मानकानुसार (निर्धारित दूरी) का पालन करते हुए परीक्षा में सम्मिलित कराया जाय।
6. प्रत्येक दिन / पॉली में परीक्षार्थियों की उपस्थिति महाविद्यालय की लॉगिन पर अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करें। तद्‌नुसार उपस्थिति से शासन को प्रतिदिन अवगत कराया जा सके।
7. परीक्षा समाप्ति पश्चात प्रत्येक दशा में एक घण्टे के अन्दर पूर्व निर्धारित संकलन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल प्रतिदिन जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कमशः.....2 पर

8. आपके परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रपत्रों पर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की तिथि/पाली एवं समय का संशोधन का अनुपालन विशेष रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
9. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु पृथक–पृथक शौचालय (महिला/पुरूष) की व्यवस्था करें।
10. समस्त परीक्षा केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें।
11. समस्त केन्द्राध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की भॉति आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी निर्देश पुस्तिका का अध्ययन कर समुचित रूप से अनुपालन करें।
12. स्ट्रांगरूम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
13. मानकानुसार कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी प्रत्येक परीक्षा कक्ष में लगायी जाये।
14. सी0सी0टी0वी0 एवं वायस रिकार्डर समुचित रूप से चालू स्थिति में रहे व रिकार्डिंग कम से कम 60 दिवसों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो।
15. अपने महाविद्यालय द्वारा डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर दर्ज करें।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण की जाये। परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुचित साधनों के नियंत्रण हेतु निर्देशों के विचलन किये जाने, व्यतिक्रम होने व निर्देशों का उल्लधन किये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि–

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. क्षेंत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली एवं मुरादाबाद परिक्षेत्र।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव।
6. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
7. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

परीक्षा नियंत्रक